

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2952/2026

Mala Ram Alias Kalu S/o Manak ram, Aged About 27 Years, R/o
Shekhaniwas Hingoli, PS Bhopalgarh District Jodhpur.
(At Present Lodged In Central Jail , Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री राम निवास बिश्नोई
For Respondent(s)	:	श्री ऊर्जाराम कलवी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना— आसोप, जिला— जोधपुर ग्रामीण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— **129/2025** अपराध अन्तर्गत धारा **8/22** **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम** में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 8/22 सपठित धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में मुख्य अभियुक्त प्रहलाद स्वामी से बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ 15 ग्राम एम.डी.एम.ए बरामद होना दर्शित किया गया है जिसका जमानत आवेदन समकक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.02.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अन्य सहअभियुक्त प्रहलाद स्वामी का जमानत आवेदन समक्ष पीठ द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त से मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है केवल मात्र अन्य सहअभियुक्त की सूचना के आधार प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया है। बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है जिससे धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.02.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है, प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मालाराम उर्फ कालू पुत्र माणकराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J